

३१.०५-२५

पत्रावली पेश हुई। वेंचकार राज की वदत
पर मनन करने एवं पत्रावली का कवलौकन करने
पर वदी का बाद स्वीकार योग्य होने के कारण
स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली
बाद तरीब तकमील होकर दाखिल रहता है।
निर्णय लिखा जाकर जुले न्यायालय में
सुनाया गया।

किरा
३१-०५-२५
(किरण पाल)
R.A.S.